जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 12.02.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा पशु चोर गिरोह के 02 अभियुक्तो को टाटा पंच कार, 02 अवैध शस्त्र मय 04 जिंदा कारतूस व अन्य सामान सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में पशु चोरी की घटनाओं पर रोकथाम एवं पशु चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा सूचना पर बैरियर चौकी गंगनहर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग के दौरान टाटा पंच कार रजि0 सं0 DL5C0558 को रोककर चेक किया गया तो 02 व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गये तथा दो व्यक्ति 1.मौ0 फहीम पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.शहजाद मुल्ला पुत्र रशीद उर्फ शरीफ अहमद निवासी कुंगर पट्टी ग्राम सुजडू थाना कोतवाली शहर जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी मौ0 सरवट सुभाष नगर चक्की थाना नई मन्डी जनपद मुजफ्फरनगर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, एक अवैध तमंचा 12 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस, रस्से, पेंचकस आदि अन्य औजारों सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 70/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1.मौ0 फहीम, 2.शहजाद मुल्ला, 3.मोनू उर्फ भूरा व एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो टाटा पंच कार (बरामद हुई) से अपने साथी 1.मोनू उर्फ भूरा पुत्र इकरामुद्दीन 2.अलीशान पुत्र कय्यूम कुरैशी 3.नितिन पुत्र मदन व 4.मोनू के दोस्त के साथ गांव-गांव घूमकर रेकी कर करते है तथा रात्रि के समय योजना बनाकर पशुओ की चोरी कर छोटा हाथी वाहन टाटा S UP 20 BR 3890 पर लादकर ले जाते है तथा जनपद में दूसरी जगहों पर ले जाकर अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दामो पर बेच देते है।

अभियुक्तगण ने बताया कि अभी तक हमारे द्वारा जनपद बिजनौर में पिछले करीब 07 महिनो से अब तक 08-10 भिन्न-भिन्न जगहो पर चोरी की है जिसमे हमारे द्वारा एक दर्जन से अधिक पशुओ की चोरी की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मौ0 फहीम पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. शहजाद मुल्ला पुत्र रशीद उर्फ शरीफ अहमद निवासी कुंगर पट्टी ग्राम सुजडू थाना कोतवाली शहर जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी मौ0 सरवट सुभाष नगर चक्की थाना नई मन्डी जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी –

टाटा पंच कार रजि0 सं0 DL5C0558

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

एक अवैध तमंचा 12 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस

चार प्लास्टिक के रस्से, पाना, पेंचकस आदि अन्य औजार

अभियुक्त मौ0 फहीम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 248/2021 धारा 147/148/149/307/323/336/34/504/506 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 572/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 645/2022 धारा 307/34 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 646/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 730/2022 धारा 3(1) गैंग0 अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 194/2023 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 257/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 258/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 272/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 284/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 394/2023 धारा 380 भादवि थाना नहटौरजनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 12/2024 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
13. मु0अ0सं0 50/2024 धारा 411/420/467/471/482 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर
14. मु0अ0सं0 70/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्मस थाना नजीबाबाद बिजनौर

अभियुक्त शहजाद उर्फ मुल्ला का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 456/2018 धारा 307 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर

2-मु0अ0सं0 672/2018 धारा 379/411 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर

3-मु0अ0सं0 801/2018 धारा 25 आयुध अधि0 थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर

4-मु0अ0सं0 802/2018 धारा 414 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर

5-मु0अ0सं0 545/2019 धारा 380/457 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर

6-मु0अ0सं0 547/2019 धारा 147/148/148/307 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर

7-मु0अ0सं0 194/2023 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

8-मु0अ0स0 257/2023 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर

9-मु0अ0स0 258/2023 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर

10-मु0अ0सं0 272/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

11-मु0अ0सं0 284/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

12-मु0अ0सं0 394/2023 धारा 380 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

13-मु0अ0सं0 12/2024 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

14-मु0अ0सं0 50/2024 धारा 411/420/467/471/482 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

15-मु0अ0सं0 70/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2-उ0नि0 श्री मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3-हे0का0 71 अवधेश शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4-हे0का0 647 यशवीर राठी (चालक) थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

5-हे0का0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

6-का0 2056 अरुण कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

7-का0 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

8-का0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 12.02.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने पशु चोर गिरोह के दो अभियुक्तों को चोरी की गयी दो भैंस, घटना में प्रयुक्त गाडी (छोटा हाथी) व दो अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में पशु चोरी की घटनाओं पर रोकथाम एवं पशु चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहटौर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.नितिन कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम आनन्दखेडी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 2.अलीशान पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम भारापुर भोरी थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार को चोरी की गयी दो भैंस व गाडी (छोटा हाथी) रजि0 नं0 UK08C6853 (फर्जी नंबर प्लेट UP20BR3890) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक-एक अवैध चाकू बरामद किया गया।

इस सम्बन्ध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 50/2024 धारा 411/420/468/471/482 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम नितिन कुमार पुत्र मदन सिहं निवासी ग्राम आनन्दखेडी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर, 2.अलीशान पुत्र कय्यूम ग्राम भारापुर भोरी थाना ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 3.शमशाद उर्फ शहजाद मुल्ला पुत्र रशीद उर्फ शरीफ अहमद निवासी कूंगर पट्टी सुजडू थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी मौ0 सरवट सुभाष नगर चक्की थाना नई मन्डी जनपद मुजफ्फरनगर 4.फईम पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 5.मोनू उर्फ भूरा पुत्र इकरामुद्दीन निवासी कूंगर पट्टी सूजडू थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग टाटा पंच कार से दिन में गांवों में घूम कर रेकी करते हैं और रात में अपने अन्य तीन साथियों शमशाद उर्फ शहजाद मुल्ला, फईम व मोनू उर्फ भूरा के साथ मिलकर पशु चोरी करते है। हम पिछले 07-08 माह में जनपद बिजनौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दर्जनों से अधिक भैंस चोरी कर चुके है। हमारे आगे चल रहे अन्य तीनों साथी टाटा पंच कार से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नितिन कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम आनन्दखेडी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.अलीशान पुत्र कय्यूम ग्राम भारापुर भोरी थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

बरामदगी –

दो भैंस

एक गाडी (छोटा हाथी) रजि0 नं0 UK08C6853 (फर्जी नंबर प्लेट UP20BR3890)

तीन नम्बर प्लेट UK08C6853

दो अवैध चाकू, दो रस्सा आदि

अनावरित अभियोगों का विवरण –

1.मु0अ0सं0 194/2023 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 257/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 258/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 272/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 284/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 394/2023 धारा 380 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं 12/24 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

अभियुक्त नितिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 194/2023 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 257/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 258/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 272/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 284/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 394/2023 धारा 380 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं 12/24 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 50/2024 धारा 411/420/468/471/482 भादवि व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अलीशान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 194/2023 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 257/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 258/23 धारा 380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 272/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 284/2023 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 394/2023 धारा 380 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं 12/24 धारा 457/380 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 50/2024 धारा 411/420/468/471/482 भादवि व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र तोमर थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 584 संदीप कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.हे0कां0 514 मनीष कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.कां0 1939 रवि कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनाँक 12.02.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को चोरी किये गए एक पम्पिंग सेट सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी/लूट आदि की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तगण रिंकु पुत्र ओमप्रकाश व चाँद पुत्र रामपाल निवासीगण ग्राम बूडावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को चोरी किये गए एक पम्पिंग सेट सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411 भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त पम्पिंग सेट को कल रात्रि में उनके द्वारा ग्राम बूडावाला के जंगलो से चुराया गया था तथा आज उसे बेचने के लिये ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

1.रिंकु पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बूडावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2. चाँद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बूडावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

एक पम्पिंग सेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री श्यामपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1936 जयप्रकाश थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2366 मोनू कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड दिनांक – 12.02.2024

थाना रेहड पुलिस ने मु0अ0सं0 09/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.01.2024 को थानाध्यक्ष, रेहड द्वारा अभियुक्तगण 1.प्रदीप उर्फ प्रताप सिंह (गैंगलीडर) पुत्र केदार सिंह, 2.खिलाफ सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह निवासीगण ग्राम बूरा चमोली उत्तराखण्ड, 3.मोहित कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी पूरनपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, 4.आकाश कुमार पुत्र राजकुमार निवासी रतुपुरा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद व 5.शीशपाल पुत्र रामनाथ सिंह निवासी नरेन्द्रपुर भगतपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थ (गांजा आदि) की तस्करी करना व समाज में डर तथा भय का माहौल उत्पन्न करने जैसे समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहने के संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 09/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एंव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण शीशपाल पुत्र रामनाथ सिंह निवासी नरेन्द्रपुर भगतपुर जनपद मुरादाबाद व मोहित कुमार पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम पूरनपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आकाश उपरोक्त पूर्व से ही जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे। विधिक कार्यवाही प्रचिलत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.शीशपाल पुत्र रामनाथ सिंह निवासी नरेन्द्रपुर भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

2. मोहित कुमार पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम पूरनपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 43/2023 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रेहड़ बिजनौर

2.मु0अ0सं0 09/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री भीम सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री स्वदेशपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 श्री रहीशपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।

4.कां0 504 अवदेश कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।

5.कां0 1247 रोहित कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।

6.कां0 19 केशव कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजौनर।

7.कां0 2513 देव तेवतिया थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 12.02.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 41/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.01.2024 को वादी श्री अब्बास पुत्र श्री रहीशुलहसन निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.01.2024 को अभियुक्तगण 1.मुरसलीन 2.सोनू 3.मुजममिल पुत्रगण अनवार निवासीगण मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई सलमान के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम मुरसलीन आदि कुल 03 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त मुरसलीन पुत्र मौ0 अनवार निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित मुजम्मिल पुत्र मौ0 अनवार निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुरसलीन पुत्र मौ0 अनवार निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1627 मौ0 मोबिन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनाँक 12.02.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को अवैध तमंचे सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सर्वजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी बडिया मथुरापुर मोर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 69/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सर्वजीत उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

सर्वजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी बडिया मथुरापुर मोर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त सर्वजीत का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0-692/2014 धारा 18/20 NDPS ACT. थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0-09//2015 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 420/2022 धारा 21/22 NDPS Act थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0स0-69/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री मनवीर सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. का0 2098 रोबिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. का0 2346 नितिन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर दिनाँक 12.02.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 71/2024 धारा 307/504 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.02.2024 को वादी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त काला पुत्र नइम कुरेशी निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के चाचा के साथ गाली गलौच करते हुए धारदार वस्तु से वार कर घायल कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 71/2024 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त काला पुत्र नइम कुरेशी निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त लोहे की पत्ती सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

काला पुत्र नइम कुरेशी निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

घटना में प्रयुक्त लोहे की पत्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 547 शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 12.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.02.2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्वीटर) पर Mohd Azad (Mohd azad) नाम की फेसबुक आइडी से हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) से संबंधित प्रकरण के बारे में की गयी आपत्तिजनक पोस्ट से संबंधित स्क्रीनशॉट वायरल हुए। वायरल पोस्ट/स्क्रीनशॉट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त फेसबुक आइडी की जांच की गयी तो मौ0 आजाद पुत्र रसीद अहमद निवासी ग्राम दीदा नगला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा पोस्ट किया जाना प्रकाश में आया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 505(2) भादवि व धारा 66B आईटी एक्ट बनाम मौ0 आजाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी/पोस्ट करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सोशल मीडिया सेल व समस्त थाना प्रभारियों को दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मौ0 आजाद पुत्र रसीद अहमद निवासी ग्राम दीदा नगला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 आजाद पुत्र रसीद अहमद निवासी ग्राम दीदा नगला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोबाइल फोन पोको कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.श्री नरेशपाल सिंह निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 402 धर्मवीर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक:- 12.02.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	को0 शहर	शेर सिंह पुत्र रामगोपाल नि0 मौ0 जाटान थाना को0 शहर बिजनौर।
2.	को0 शहर	नीरज उर्फ बब्लू पुत्र श्री कृष्ण नि0 मौ0 रामलीला ग्राउण्ड थाना को0 शहर बिजनौर।
3.	शेरकोट	सनी कुमार पुत्र कृपाल सिंह नि0 मौ0 निकम्माशाह कस्बा शेरकोट।
4.	चांदपुर	रोहित पुत्र बुद्ध सिंह नि0 ग्राम मौ0 मौठा कुआं स्याऊ।
5	को0 देहात	देवेन्द्र पाल सिंह उर्फ करतार सिंह पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम दयालपुर।
6	को0 देहात	शकील पुत्र शफीक निवासी ग्राम उमरी।

थाना शेरकोट

थाना चांदपुर

थाना को0 देहात

थाना को0 शहर